<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 44 / 24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024 / 178

1. श्री देवीलाल पिता हीराजी गुर्जर निवासी सिन्दु तहसील घासा जिला उदयपुर।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री भंवरलाल पिता रूपा गुर्जर निवासी सिन्धु तहसील घासा जिला उदयपुर।
2. श्रीमती धापूबाई पत्नी रूपा गुर्जर निवासी सिन्धु तहसील घासा जिला उदयपुर। तर्क किया गया।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा जिला–उदयपुर (राज.)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री शैलेन्द्र सिंह राणावत, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 05.06.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 2316, 2320, 2322, 2323, 2327, 2328, 2335, 2337, 2349, 2350, 3205 / 508, 498, 499, 501, 510, 513 किता 16 कुल रकबा 3.6988 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड है। आराजी नम्बर 2317, 2318, 2319, 2321, 2324, 2326, 2334, 2336, 2351, 2352, 3203 / 498, 3204 / 499, 3206 / 2337, 500, 508, 509, 514 किता 17 कुल रकबा 3.6990 हैक्टेयर भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण मेरी खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा कब्जे करने पर उतारू है। सीमा को लेकर आए दिन विवाद करते है। अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी की तन्हा खातेदारी भूमि का सिमांकन कर चारो दिशाओ की पत्थरगड़ी की जावे।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 का नाम तर्क किया गया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी की भूमि के साथ विपक्षीगण की भूमि की भी पत्थरगड़ी जावे। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उभय पक्षों की भूमि की पत्थरगड़ी करने का निवेदन किया।
3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन किया कि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:15 IST
Reason: SelfAttested

संवत 2077–80 के खाता संख्या 167 पर दर्ज आराजी नम्बर 2316, 2320, 2322, 2323, 2327, 2328, 2335, 2337, 2349, 2350, 3205/508, 498, 499, 501, 510, 513 किता 16 कुल रकबा 3.6988 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम तन्हा खातेदारी अधिकार से दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 344 पर दर्ज आराजी नम्बर 2317, 2318, 2319, 2321, 2324, 2326, 2334, 2336, 2351, 2352, 3203/498, 3204/499, 3206/2337, 500, 508, 509, 514 किता 17 कुल रकबा 3.6990 हैक्टेयर भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपनी अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है तथा विपक्षीगण की भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण अपनी अपनी भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहते है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। इसलिये उभय पक्षो को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सिन्दु पटवार हल्का सिन्दु तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 167 पर दर्ज आराजी नम्बर 2316, 2320, 2322, 2323, 2327, 2328, 2335, 2337, 2349, 2350, 3205/508, 498, 499, 501, 510, 513 किता 16 कुल रकबा 3.6988 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 344 पर दर्ज आराजी नम्बर 2317, 2318, 2319, 2321, 2324, 2326, 2334, 2336, 2351, 2352, 3203/498, 3204/499, 3206/2337, 500, 508, 509, 514 किता 17 कुल रकबा 3.6990 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:15 IST
Reason: SelfAttested